


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
रामनारायण बनाम सोहन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 239/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<u>27.07.24</u>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रामनारायण</u></p> <p>पिता श्री <u>शान्तीलाल जाट</u></p> <p>निवासी- <u>ऐराण</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1256/1175</u></p> <p><u>ऐराण</u> <u>1258/1182</u>, <u>1260/1183</u>, <u>1262/636</u> मी. <u>0.2600</u> <u>0.07</u> <u>0.05</u> <u>0.25</u></p> <p>कुल कीता <u>0.4</u> कुल रकबा <u>0.6300</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>ऐराण (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1256/1175</u>, <u>1258/1182</u>, <u>1260/1183</u>, <u>1262/636</u> मी. <u>0.26</u>, <u>0.07</u>, <u>0.05</u>, <u>0.25</u></p> <p>कुल कीता <u>0.4</u> रकबा <u>0.6300</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500/-</u> रूपये अक्षरे <u>पाच</u> (ने. <u>ब्यार</u>) प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बिनु देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>